मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 9333 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 24/09/11

प्रति,

कलेक्टर/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला सीधी, अशोकनगर, सिवनी, नरसिंहपुर एवं छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

विषय:– वित्त वर्ष 2011–12 में मनरेगा अंतर्गत राशि जारी करने के संबंध में।

––00––

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को आपके जिलों को राशि जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए है। राशि जारी करने के पूर्व परिषद् स्तर पर "एप्राईजल कमेटी" की बैठक में आपके प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जायेगा।

अतः आपके जिले के अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, निम्न जानकारी के साथ पर्यावास भवन स्थित परिषद् कार्यालय में दिनांक 01.10.2011 को प्रातः 11.30 बजे उपस्थित हों।

1 मनरेगा अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति।

2 फार्म बी–16 एवं 17 में वांछित अभिलेख एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र।

3 5 कि.मी. दायरे में भुगतान हेतु जिले में की जा रही मेपिंग की प्रगति रिपोर्ट।

4 जिलों द्वारा वर्ष 2010–11 की सी.ए. आडिट की अंतिम रिपोर्ट।

5 भारत सरकार एवं गंभीर शिकायतों पर पालन प्रतिवेदन।

6 लंबित विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासनों की जानकारी।

7 अन्य कोई जानकारी या सुझाव जो आप देना चाहें।

जानकारी पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन में भी प्रस्तुत की जानी है अतः तत्संबंधी आवश्यक तैयारी के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।

(नीरज मण्डलोई)
आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय, भोपाल

पृ.क्रमांक/ 9334 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 24/09/11

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक संबंधित जिलों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय